

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

पीठासीन अधिकारी-अरुण कुमार पुरोहित, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या-47/2025

जी.सी.एम.एस. पोर्टल संख्या- 2025/51

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड, जरिये अधिकृत अधिकारी श्री कैलाश शर्मा, जिसका पंजिकृत कार्यालय-एच.डी.एफ.सी बैंक हाउस, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013 तथा क्षेत्रीय कार्यालय - एच.डी.एफ.सी बैंक लि., 414-417, हवा महल रोड, सुभाष चौक, जयपुर-302002 में स्थित व कार्यरत है।		1. मैसर्स कृष्णा प्रोडेक्ट्स जरिये प्रोपराईटर श्री रामदेव लुणसारा पुत्र श्री हरि राम लुणसारा, पता-जी-1-266, रिको इन्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर रोड, नागौर, राजस्थान-341001 2. श्री रामदेव लुणसारा पुत्र श्री हरि राम लुणसारा, पता- लुणसारा, तहसील जायल, नागौर, राजस्थान-341024 3. श्री महिपाल फरोदा पुत्र श्री रामदेव फरोदा, पता- लुणसारा, तहसील जायल, नागौर, राजस्थान-341024

आदेश

दिनांक: 12/03/2025

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/ऋणी को जरिये रूपये 2,23,40,000/- (अक्षरे दो करोड़ तेईस लाख चालीस हजार रूपये मात्र) दिनांक 29.10.2018 को ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में अचल सम्पत्ति-1. प्लॉट 1-266, रिको इन्डस्ट्रीयल एरिया, नागौर-341001, राजस्थान में स्थित है, जो कि मैसर्स कृष्णा प्रोडेक्ट जरिये प्रोपराईटर श्री रामदेव पुत्र श्री हरिराम के नाम से है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2024.51 वर्गमीटर है। जिसके उत्तर में गली, दक्षिण में प्लॉट नं 73, पूर्व में प्लॉट नं 69 व पश्चिम में रोड है।

अचल सम्पत्ति-2. मकान संख्या 74, सैनिक बस्ती, जिला नागौर 341001, राजस्थान में स्थित है, जो कि श्री रामदेव पुत्र श्री हरिराम के नाम से है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2400 वर्गफीट है, जिसके उत्तर में प्लॉट नं खुली जमीन दक्षिण में रोड पूर्व में रोड व पश्चिम में प्लॉट नं जी-1-267 है, जो प्रार्थी बैंक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एवं जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैंक के नियमानुसार भुगतान नहीं चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 03.06.2019 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी में रूपये 3,11,36,285.80/- (अक्षरे तीन करोड़ ग्यारह लाख छत्तीस हजार दो सौ पिच्चासी रूपये और अस्सी पैसे मात्र) दिनांक 22.09.2022 तक शेष देय एवं इसके आगे का ब्याज व खर्च सहित राशि का भुगतान बकाया निकलते है।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को नोटिस दिनांक 02.11.2022 को जरिये रजिस्टर्ड डाक से अप्रार्थीगण को प्रेषित किये, परन्तु उक्त नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पत्ति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर-अन्दर ऋण राशि में रूपये 3,11,36,285.80/- (अक्षरे तीन करोड़ ग्यारह लाख छत्तीस हजार दो सौ पिच्चासी रूपये और अस्सी पैसे मात्र) दिनांक 22.09.2022 तक शेष देय एवं इसके आगे का ब्याज व खर्च सहित राशि का भुगतान को जमा कराना था, परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पत्ति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक्वोरिटीज एवं



जिला मजिस्ट्रेट  
नागौर

सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेंट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैंक सिक्योरिटीज सम्पत्ति का विवरण अचल सम्पत्ति-1. प्लॉट 1-266, रिको इन्डस्ट्रीयल एरिया, नागौर-341001, राजस्थान में स्थित है, जो कि मैसर्स कृष्णा प्रोडक्ट जरिये प्रोपराईटर श्री रामदेव पुत्र श्री हरिराम के नाम से है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2024.51 वर्गमीटर है। जिसके उत्तर में गली, दक्षिण में प्लॉट नं 73, पूर्व में प्लॉट नं 69 व पश्चिम में रोड़ है।

अचल सम्पत्ति-2. मकान संख्या 74, सैनिक बस्ती, जिला नागौर 341001, राजस्थान में स्थित है, जो कि श्री रामदेव पुत्र श्री हरिराम के नाम से है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2400 वर्गफीट है, जिसके उत्तर में प्लॉट नं खुली जमीन दक्षिण में रोड़ पूर्व में रोड़ व पश्चिम में प्लॉट नं जी-1-267 है, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डोक्यूमेंट्स का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से 2,23,40,000/- (अक्षरे दो करोड़ तेईस लाख चालीस हजार रुपये मात्र) दिनांक 29.10.2018 को ऋण सुविधा प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:- प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर -(क)उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमों को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानों को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध में पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व में अचल सम्पत्ति-1. प्लॉट 1-266, रिको इन्डस्ट्रीयल एरिया, नागौर-341001, राजस्थान में स्थित है, जो कि मैसर्स कृष्णा प्रोडक्ट जरिये प्रोपराईटर श्री रामदेव पुत्र श्री हरिराम के नाम से है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2024.51 वर्गमीटर है। जिसके उत्तर में गली, दक्षिण में प्लॉट नं 73, पूर्व में प्लॉट नं 69 व पश्चिम में रोड़ है।

अचल सम्पत्ति-2. मकान संख्या 74, सैनिक बस्ती, जिला नागौर 341001, राजस्थान में स्थित है, जो कि श्री रामदेव पुत्र श्री हरिराम के नाम से है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2400 वर्गफीट है, जिसके उत्तर में प्लॉट नं खुली जमीन दक्षिण में रोड़ पूर्व में रोड़ व पश्चिम में प्लॉट नं जी-1-267 है, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, जो प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध में संबंधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपत्ति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।



(अरुण कुमार पुरोहित)  
जिला मजिस्ट्रेट  
नागौर